अद्यतन तिथि 01.01.2018

बैंक जमाराशियों पर नीति

बैंक जमा

जमाओं पर निष्पादित इस नीतिगत दस्तावेज़ में विभिन्न जमा उत्पादों की प्रस्तुति के पीछे बैंक की संकल्पना, खाते के परिचालन को अभिशासित करने वाली नियम व शर्तें शामिल हैं। यह विलेख ग्राहक अधिकार को मान्यता प्रदान करता है और जनता से जमाराशि प्राप्त करने से जुड़े विभिन्न अंशों, विभिन्न जमा खातों का निर्वहण व परिचालन, जमा खातों की बंदी, मृत जमाकर्ताओं की जमाराशि का निपटान करने की प्रक्रिया आदि पर सूचना प्रदान करना इसका उद्देश्य है। बैंक का उम्मीद है कि यह विलेख वैयक्तिक ग्राहकों के साथ बैंक के व्यवहार के बारे में अधिक पारदर्शिता लाएगी और जन सामान्य में ग्राहक अधिकार पर जागरूकता फैलेगी। इस नीति का चरम उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि ग्राहक को मांगे बगैर बैंक से उसे वह सभी सेवाएँ मिलेंगी जिसके लिए वह हकदार है।

यह नीतिगत दस्तावेज़ एक व्यापक ढ़ांचा है, जिसके अंतर्गत आम जमाकर्ताओं के अधिकारों को मान्यता प्रदान किया गया है। सभी शाखाओं/ कार्यालयों को विभिन्न जमा योजनाओं एवं संबद्ध सेवाओं के लिए अनुदेश पुस्तिका एवं समय-समय पर जारी प्रसंगगत परिपत्रों में कथित विस्तृत परिचालनात्मक निदेशों का अनुपालन करना होगा।

1. जमाराशि खातों के प्रकार

यद्यपि बैंक अपने विभिन्न जमा उत्पादों के लिए अलग-अलग नाम निर्धारित करता है, तथापि, जमा उत्पादों को मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है ।

- **मांग जमा** अर्थात् बैंक द्वारा प्राप्त वह जमा जिसे मांग के आधार पर आहरित किया जा सकता है ।
- **बचत जमा** अर्थात् एक प्रकार की मांग जमा जिसमें आहरणों की संख्या में और निर्दिष्ट अवधि के दौरान बैंक द्वारा अनुमत आहरणों की संख्या में प्रतिबंध होते हैं।
- **मियादी जमा** अर्थात् बैंक द्वारा नियत अवधि के लिए प्राप्त की जाने वाली जमा, जिसे नियत अवधि की समाप्ति पर ही आहरित किया जा सकता है तथा जिसमें आवर्ति/स्थाई/ सामाजिक सुरक्षा जमाएं/वरिष्ठ नागरिक बचत जमा/ सिंडिकेट सुविधा जमा/ सिंडिकेट अस्थाई दर जमा/ विकास नकद प्रमाण-पत्र, सिंड स्मार्ट शी, सिंड स्मार्ट जेन एवं सिंड जूनियर मिलियनेर आदि शामिल हैं ।
- **'नोटिस जमा'** अर्थात् निर्दिष्ट अवधि के लिए प्राप्त की जाने वाली वह मियादी जमा, जिसे कम से कम एक पूरे बैंकिंग दिवस की पूर्व सूचना पर आहरित किया जा सकता है ।
- **'चालू खाता**: यानि एक प्रकार की मांग जमा जिसमें खाता के शेष के आधार पर आहरण एक से अधिक बार या किसी विशिष्ट सहमत रकम तक आहरण किया जा सकता है। इसमें अन्य जमा खाते भी शामिल होंगे जो न तो बचत जमा है न ही मियादी जमा ।

2. खाता खोलना तथा जमा खातों का परिचालन

(ए) (1) अर्ह व्यक्ति/ व्यक्तियों एवं कुछ संस्थाओं/ एजेंसियों द्वारा (भारतीय रिज़र्व बैंक से समय-समय पर प्राप्त निदेशों के आधार पर) बचत खाता खोला जा सकता है।

(2) चालू खाते व्यक्तियों/ भागीदार फर्म/ निजी एवं सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों/ हिन्दू अविभक्त परिवारों/ विनिर्दिष्ट संस्थाओं/ सोसाइटी/ न्यास द्वारा खोला जा सकता है।

शाखाओं को सलाह दी जाती है कि वे नए चालू खाते खोलने से पहले ग्राहक के उधारकर्ता बैंक संबंधी जानकारी अनिवार्यतः फार्म181 (आर) में पृष्ठ सं. 2-मद सं. 2 के अंतर्गत दर्ज करें। यदि पार्टी के नाम पर पहले अन्य बैंक व शाखाओं में ऋण मौजूद हैं तो अनापत्ति प्रमाणपत्र अवश्य प्राप्त करें।

कंपनी अधिनियम 2013 में कृत संशोधनों को मद्दे नज़र रखते हुए बैंकों से अनुरोध है कि कंपनी के ज्ञापन या 'संस्था के अंतर्नियम (Article of Association)' में कंपनी सील हेतु प्रावधान प्रदान न किए जाने पर कंपनी से कंपनी

सील की मांग न करें। धनाशोधन निवारण अधिनियम व नियम के प्रावधानों के अनुसार चालू खाता खोलने के लिए कंपनी की मुहर की आवश्यकता नहीं है।

3. ए) केवाईसी मानदंड

i. बैंक, कोई भी जमा खाता खोलने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देशों और/ या बैंक में वर्तमान में लागू अन्य नियम व प्रक्रियाओं के आधार पर बैंक द्वारा तैयार 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' नीति में यथा प्रस्तावित समुचित सावधानी का परीक्षण करेगा। अगर किसी भावी जमाकर्ता के खाता खोलने के लिए उच्चस्तरीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है, वहाँ खाता खोलने में हुए विलंब का कारण और इस संबंध में अंतिम निर्णय जमाकर्ता को जल्द से जल्द प्रदान किया जाएगा।

ii. बैंक द्वारा जमा खाता खोलते समय अनुपालन की जाने वाली समुचित सावधानी प्रक्रिया के अंतर्गत भावी ग्राहक को स्वीकारने हेतु बैंक द्वारा निर्धारित ग्राहक स्वीकरण नीति के शर्तों के अनुसार व्यक्ति की पहचान, पता का सत्यापन, उसके उद्योग की पुष्टि एवं आय के स्रोत आदि की सूचना की जाँच केवाईसी नीति के अंतर्गत दी गई ग्राहक पहचान प्रक्रिया के अनुसरण कर, विश्वसनीय एवं स्वतंत्र दस्तावेज़, डाटा या सूचना प्राप्त करने के पश्चात् की जाएगी। खाता खोलने/ परिचालित करने वाले व्यक्ति/यों से हाल की छायाचित्र प्राप्त करना केवाईसी नीति का अंग है। इसके अतिरिक्त स्वीकार्य लोगों से परिचय प्राप्त करना भी केवाईसी नीति का अंग है। हालांकि, आरबीआई द्वारा जारी हाल के दिशानिर्देशों के अनुसार खाता खोलने के लिए परिचय प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है और सभी खातों के लिए केवाईसी नुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

कानून के मुताबिक बैंक को केवाईसी मानदंडों में निर्धारित समुचित सावधानी संबंधी आवश्यकताओं के अनुपालन के अतिरिक्त ग्राहक से स्थाई खाता संख्या (पीएएन) या विकल्पतः फार्म सं. 60 एवं 61 में आय कर अधिनियम/ नियम में प्रस्तावित प्रारूप में घोषणा प्राप्त करना अनिवार्य है।

iii. विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को अपने ग्राहकों का वर्गीकरण जोखिम संभावना के आधार पर करना होगा और लेनदेन की नगरानी करने के लिए उनके नाम पर प्रोफाइल तैयार रखना होगा। भावी ग्राहक द्वारा आवश्यक सूचना/ ब्यौरें प्रदान करने में अनिच्छा ज़ाहरि करने पर उनके द्वारा सूचना प्रस्तुत करने में असमर्थता होने पर बैंक उस ग्राहक के नाम पर खाता खोलने से मना कर सकता है। मौजूदा ग्राहक विनियामक अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु अपेक्षित सूचना प्रदान करने में असमर्थ हो जाने/ अनिच्छा जताने पर बैंक ग्राहक को समुचित सूचना देने के पश्चात् खाता बंद कर सकता है।

iv. ग्राहकों की पहचान तथा पता का अद्यतन एवं पुष्टीकरण तथा अतिरिक्त केवाईसी जानकारी का संकन, एक सतत प्रक्रिया है। खाता खोलने के बाद ग्राहकों के पहचान के आंकडों (इस में छायाचित्र भी शामिल है) के आवधिक अद्यतन शाखाओ द्वारा किया जाए।

उच्च जोखिम युक्त खातों के मामले में यह आवधिक अद्यतन वर्ष में कम से कम तो बार, मध्यम जोखिम युक्त खातों के लिए आठ वर्ष में एक बार और न्यून जोखिम युक्त खातों में 10 वर्ष में एक बार किया जाए।

v. बैंक, समाज की वंचित वर्ग के लिए आधारभूत बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराने में प्रतिबद्ध है। उन्हें नो-फ्रिल खाते के माध्यम से बैंकिंग सेवाएँ दी जाएंगी और इन खातों को विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार तरलीकृत ग्राहक संस्वीकरण मानकों का अनुपालन करते हुए खोला जाएगा।

बी) केवाईसी का सरलीकरण

खाता खोलने में और खाते में आवधिक अद्यतन करते समय आम जनता को होने वाली कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से समय-समय पर केवाईसी दिशानिर्देशों को तत्काल प्रभाव से सरलीकृत किया जाता है , ताकि बैंक -

i) आवधिक जांच के लिए ग्राहकों की उपस्थिति की मांग न करें, खाते की स्थिति में परिवर्तन न होने की स्थिति में आवधिक अद्यतन के दौरान 'न्यून जोखिम' वाले ग्राहकों से पहचान व पते के प्रमाणन हेतु नए पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ज़ोर न दें; स्वतः प्रमाणन को स्वीकारें; मेल/ डाक आदि के माध्यम से

प्राप्त दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति को स्वीकारें और यदि कोई मौजूदा केवाईसी अनुपालक ग्राहक बैंक में एक और खाता खोलना चाहे तो उससे फिर से पहचान व पता साक्ष्य की मांग न करें।

ii) **पते का प्रमाण**:- आगे से, ग्राहक खाता खोलते समय या खाते में आवधिक अध्यतन करते समय पते के प्रमाण के रूप में मात्र एक दस्तावेज़ (वर्तमान या स्थाई में से कोई एक) प्रस्तुत करें तो काफी है। पते के प्रमाण में मौजूद पते में संशोधन होने पर नया प्रमाण 6 महीनों के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है। केवाईसी के उपरोक्त सरलीकृत मानक संबंधी जानकारी सभी शाखाओं/ कार्यालयों को परिपत्र सं. 380/2014/बीसी/122, दिनांक 18.11.2014 के माध्यम से सूचित किया गया है।

iii) **स्वामित्व संस्थाओं के लिए केवाईसी:** आरबीआई द्वारा पत्र सं. आरबीआई/2014-15/498 डीबीआर.एएमएल.बीसी सं.77/14.01.001/2014-15, दिनांक 13.03.2015 के माध्यम से जारी नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार आगे स्वामित्व संस्थाएँ अपनी गतिविधि को सत्यापित करते हुए मात्र एक प्रमाण (इससे पहले तो) प्रस्तुत करें तो काफी है। इसकी सूचना सभी शाखाओं/ कार्यालयों को परिपत्र सं. 122/2015/बीसी/पीएंडडी/044, दिनांक 27.03.2015 के माध्यम से दी जा चुकी है।

iv) **स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के लिए केवाईसी :** आरबीआई के निदेशों के अनुसार, जिसे बीसी परिपत्र सं. 380/2014/बीसी/122, दिनांक 18.11.2014 के माध्यम से संसूचित किया गया है, स्वयं सहायता समूह के नाम पर खाता खोलते समय एसएचजी के सभी सदस्यों के नाम पर केवाईसी अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है। <u>एसएचजी के ऑफिस बेयरर के नाम पर केवाईसी अनुपालन सुनिश्चित करना काफी होगा। फिर भी, एसएचजी के सभी सदस्यों के केवाईसी दस्तावेज़ प्राप्त करना अनिवार्य है।</u>

v) **विदेशी छात्रों के लिए केवाईसी:**विदेशी छात्रों को स्थानीय पता प्रमाण प्राप्त करने के लिए एक महीने का समय प्रदान किया जाता है।

vi) **न्यून जोखिम युक्त ग्राहकों के लिए केवाईसी:** यदि कोई न्यून जोखिम युक्त खाताधारक ग्राहक वास्तविक कारणों के चलते अपनी केवाईसी दस्तावेज़ प्रस्तुत कर नहीं पाता है तो वह खाता खोलने की तिथि से छह माह के भीतर बैंक को उक्त दस्तावेज़ प्रस्तुत कर सकते हैं।

4. खाता खोलने के लिए परिचय अधिदेशी नहीं

पीएमएल अधिनिय/ नियम में प्रस्तावित प्रलेख आधारित जांच पद्धिति को क्रियान्वित करने से पहले का आचरण यह था कि खाता खोलने के लिए मौजूदा ग्राहक से परिचय दस्तावेज़ प्राप्त करना अनिवार्य था। हमारे बैंक के सहित देश के सभी बैंकों में खाता खोलने के लिए परिचय दस्तावेज़ हासिल करना उनकी ग्राहक स्वीकृति का अंग हुआ करता था, जिससे भावी ग्राहकों को खाता खोलने में बड़ी कठिनाई होती थी।

अब आरबीआई ने अपने पत्र सं. आरबीआई/2012-13/322 डीबीओडी.एएमएल.बीसी.सं. 65/14.01.001/2012-13, दि. 10.12.2012 के जरिए इस दिशानिर्देश को संशोधित करते हुए । इसकी सूचना हमने अपने परिपत्र सं. 356-2012-बीसी-पीएंडडी-107, दिनांक 21.12.2012 के माध्यम से दी थी।

चूंकि पीएमएल अधिनियम व नियम या भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा केवाईसी अनुदेशों के अनुसार खाता खोलने के लिए परिचय दस्तावेज़ प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे ग्राहकों से परिचय प्राप्त करने पर ज़ोर न दें।

5. संशोधित दिशानिर्देश – औपचारिक रूप से वैध दस्तावेज़

i) आरबीआई ने अपने पत्र सं. आरबीआई/214-15/131 डीबीओडी एएमएल बीसी सं. 26/14.01.001/2014-15, दि. 14.07.2014 के जरिए यह स्पष्ट किया है कि 'सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी दस्तावेज़' खंड के अंतर्गत बैंक को पूर्व प्रदान किए गए विवेकाधिकार को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और इसके स्थान पर आगे से 'औपचारिक रूप से वैध दस्तावेज़' का प्रवर्तन किया गया है।

आगे, आरबीआई ने 'औपचारिक रूप से वैध दस्तावेज़' का निर्वचन करते हुए कहा कि 1) पासपोर्ट 2) पैन कार्ड 3) ड्राविंग लाइसेंस 4) वोटर पहचान पत्र 5) नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड और 6) यूआईएआई द्वारा जारी पत्र को औपचारिक रूप से वैध दस्तावेज़ माना जाए।

औपचारिक रूप से वैध दस्तावेज़ के अंतर्गत शामिल उपरोक्त दस्तावेज़ों की जानकारी सभी शाखाओं/ कार्यालयों को परिपत्र सं. 280-2014-बीसी-पीएंडडी-87, दि. 08.09.2014 के माध्यम से दी गई।

ii) कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए औपचारिक रूप से वैध दस्तावेज़ (ओवीडी) में छूट
यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त ओवीडी में से एक भी दस्तावेज़ मौजूद न हो, लेकिन बैंक ने उन्हें कम जोखिम वाले ग्राहक के रूप में वर्गीकृत किया हो तो वह व्यक्ति निम्नांकित में से कोई एक दस्तावेज़ प्रस्तुत कर बैंक में अपना खाता खोल सकते हैं।

* केंद्र/ राज्य सरकारी विभाग, अधिमान्य/ विनियामक प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम, सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंक एवं सार्वलजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी आवेदक की फोटो युक्त पहचान पत्र
* राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी व्यक्ति की अधिप्रमाणित फोटो युक्त पत्र

6. लघु (छोटे) खाते

आरबीआई ने अपने परिपत्र सं. आरबीआई/2010-11/389 डीबीओडी एएमएल सं. 77/14.01.001/2010-11, दिनांक जनवरी 27 2011 के माध्यम से लघु खातों से संबद्ध दिशानिर्देश संसूचित किया है। इसके अतिरिक्त हमने लघु खातों के संबंध में आरबीआई द्वारा जारी अद्यतन दिशानिर्देश परिपत्र सं. 138-2014-बीसी-पीएंडडी/35 दिनांक 24.04.2014 एवं परिपत्र सं. 380-2014-बीसी-पीएंडडी-122, दिनांक 18.11.2014 के माध्यम से संसूचित किया है।

आरबीआई ने अपने पत्रांक 6-23-2012-एफआई (खंडII) (सी-56563), दिनांक 16.02.2015 के माध्यम से लघु खाता एवं बीएसबीडी खाते के बीच के अंतर को तोहराया है। इस कथन के पीछे उनका मकसद यह सूचित करना था कि खाता खोलने के लिए बैंक जाने आम जनता को बैंक वाले परेशान कर रहे हैं।

कोई भी ओवीडी दस्तावेज़ मौजूद न होने पर भी व्यक्ति बैंक में अपने नाम पर 'लघु खाता' खोल सकते हैं। व्यक्ति अपने नाम पर 'लघु खाते' स्वतः अधिप्रमाणित फोटोग्राफ के आधार पर एवं किसी बैंक अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगा कर खोल सकता है।

इस प्रकार के खातों के कुल जमा व कुल आहरण और खाता शेष में कुछ सीमाएँ होती है (कुल जमा साल में एक लाख से ज्यादा नहीं;कुल आहरण महिने में दस हज़ार से ज्यादा नहीं; खाते का कुल शेष किसी भी समय पचास हज़ार से ज्यादा नहीं)

यह लघु खाते सामान्यतः बारह महीने तक वैध होंगे। इसके बाद इस खाते को आगे बारह महीनों तक वैध रखा जा सकता है, यदि खाताधारक ने लघु खाता की खोलने की तिथि से बारह महीनों के भीतर यह निरूपित करने लायक कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत करें कि, उसने ओवीडी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने यह पुनः स्पष्ट किया है कि बैंक आरबीआई के निदेशानुसार लघु खाता खोलने वाले ग्राहकों से 12 महीनों की समाप्ति से पूर्व केवाईसी दस्तावेज़ की मांग न करें।

7. आधारभूत बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडी)

i) आधारभूत बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) समय-समय पर खाता खोलने के संदर्भ में केवाईसी/ एएमएल के अंतर्गत आरबीआई द्वारा जारी अनुदेशों के अधीन होगा।

ii) उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि बीएसबीडी खाते केवाईसी/ एएमएल दिशानिर्देशों के अनुपालन करने के पश्चात् किया जाता है। अतः यह अनुरोध है कि लघु खाताधारकों की भांति बीएसबीडी खाते खोलने वाले ग्राहकों से केवाईसी दस्तावेज़ों को पुनः प्रस्तुत करने की मांग न करें।

बीएसबीडी खातों के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि चूँकि इन खातों में पहले से केवाईसी अनुपालन किया गया है, शाखाएँ/ कार्यालय इन खाताधारकों से लघु खाताधारकों की भांति ओवीडी दस्तावेज़ पुनः प्रस्तुत करने की मांग न करें। चूंकि लघु खाते ग्राहकों की स्वतः अधिप्रमाणित फोटोग्राफ के धार पर खोला जाता है आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार इन्हें अपने पहचान/ पते को सत्यापित करने के लिए ओवीडी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए 12 महीनों का समय प्रदान करें।

8. निवासियों की आधार संख्या सार्वजनिक डोमेन में प्रदर्शित करने से रोक:

आईबीए ने अपने पत्र सं. पीएसएंडबीटी/जीओवीटी/2006, दिनांक 05.02.2016 के माध्यम से यह सूचित किया है कि - यह एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि :-

ए. आधार कार्ड संख्या में योग्य गोपनीयता बनाए रखते हुए आधार कार्डधारक की पहचान की रक्षा करें।

बी. यह सुनिश्चित करें कि आधार कार्ड संख्या इंटरनेट, वेब, सार्वजनिक नोटिस जैसे किसी भी सार्वजनिक डोमेन में प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है। यदि किसी विभाग या एजेंसी को सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूची प्रकाशित करने की आवश्यकता पड़ी उसमें आधार संख्या न हो।

9. स्वामित्व संस्था/ सहभागी फर्म/ कंपनी/ भारत में शुरू या पंजीकृत एलएलपी के नाम पर एनआरओ चालू खाता खोला जाना:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्रांक पीएस एंड बीटी/जीओवीटी/2006, दिनांक 05.02.2016 के माध्यम से यह सलाह दी है कि:-

अधिसूचना सं. फेमा 5/2000-आरबी, दिनांक मई 03 2000 की अनुसूची 3 में कथित समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसार विदेश में रहने वाले कोई भी व्यक्ति किसी भी एडी बैंक में अपने नाम पर एनआरओ खाता खोल सकता है। इसके अतिरिक्त मुख्तारनामाधारक स्थानीय निवासी को भी **फेमा आईबीआईडी** में कथित शर्तों के अनुसार एनआरओ खातों में परिचालन करने हेतु अनुमति प्रदान किया जाता है। सभी प्रकार की अनुमतियाँ इन नियमों में कथित शर्तों के अनुपालन के अधीन होंगी।

10. ग्राहक सूचना

बैंक को ग्राहकों से प्राप्त सूचना को, अपनी सेवाओं या उत्पादों की प्रति बिक्री के लिए प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। अगर बैंक इस सूचना का प्रयोग करना चाहता है तो, वह ऐसा खातेदार की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है।

11. ग्राहकों के खातों की गोपनीयता

बैंक, ग्राहक की अनुमति के बिना ग्राहक के खाते के ब्यौरें/ विवरण तृतीय पक्षदार को या थर्ड पार्टी को प्रदान नहीं करेगा, हालांकि अपवादस्वरूप बैंक जनता के प्रति कर्तव्य निर्वाह के लिए कानून द्वारा मांगे जाने पर तथा बैंक के हित संरक्षण हेतु सूचना प्रस्तुत करना अनिवार्य समझने पर ग्राहक जानकारी प्राधिकृत व्यक्ति/ संस्था को प्रदान कर सकता है।

12. अपेक्षित सूचना के ब्यौरें/ प्रलेखों की सूची

बैंक द्वारा अपने भावी जमाकर्ता को खाता खोलने के फार्म तथा अन्य सामग्री जिसमें प्रस्तुत की जाने वाली सूचना का विवरण एवं जांच करने और/ या रिकॉर्ड में रखने हेतु प्रस्तुत की जाने वाली प्रलेख आदि जानकारी भावी ग्राहक को प्रदान किया जाएगा। खाता खोलने वाले अधिकारी/ कर्मचारी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के बारे में बताएँगे और जब कभी जमा खाता खोलने हेतु आने वाले भावी ग्राहकों को अपेक्षित स्पष्टीकरण उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रदान करेंगे।

13. प्रभार लगाया जाना तथा न्यूनतम राशि का रखरखाव

बैंक सामान्यतः बचत बैंक खाता तथा चालू जमा खाता जैसे खातों के रखरखाव हेतु न्यूनतम शेष नियत करता है जो ऐसे खातों के परिचालन के नियम है । अगर खातों में न्यूनतम राशि न रखी गई हो तो बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित दर पर सेवा प्रभार लगाया जाएगा । निर्दिष्ट समय बचत व चालू खाते में अनुमत आहरण, नकद जमा आदि की संख्या बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारण निबंधनों पर आश्रित है । चेक बुक जारी करना, अतिरिक्त खाता विवरणी प्रदान करना, डुप्लिकेट पासबुक प्रदजान करना, फोलियो प्रभार आदि पर प्रभार, समय-समय पर यथा निर्धारित होंगे। सभी प्रकार की जानकारी जैसे खाता परिचालन संबंधी नियम व शर्तें, विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित दर सूची भावी ग्राहक को खाता खोलते समय सूचित कर दिया जाएगा।

आरबीआई ने अपने पत्र सं. आरबीआई/2013-14/580 डीबीओडी डीआईआर बीसी सं. 109/13.03.00/ 2013-14, दिनांक 6.5.14 के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को यह सलाह दी है कि बैंक निष्क्रिय/ डॉर्मेंट खातों के मामलों में पर्याप्त शेष बनाए न रखने के चलते उस पर लगने वाली पेनैल्टी प्रभारित न करें। इस संबंध में एक बीसी परिपत्र (परिपत्र सं. 427-2014-बीसी-पीएंडडी-143, दिनांक 11.12.2014) भी जारी किया गया है।

14. संयुक्त खाता

ए. जमा खाता किसी एक व्यक्ति के द्वारा उसके नाम पर या किसी व्यक्ति के द्वारा एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर (संयुक्त खाते) खोला जा सकता है।

बी. युक्त खाते का परिचालन : एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर खोले गए संयुक्त खातों का परिचालन एक व्यक्ति द्वारा या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से परिचालित किया जा सकता है। खाता परिचालन संबंधी अध्यादेशों के संयुक्त खाताधारकों की अनुमति से बदला जा सकता है।

सी. संयुक्त खाताधारक अपने खाते में मौजूद शेष राशि का निपटान करने के लिए अध्यादेश जैसे 'संयुक्त रूप से', 'तोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी','पूर्ववर्ति/ परवर्ति या उत्तरजीवी', 'उत्तरजीवियों में से एक या उत्तरजीवी' आदि निर्धारित कर सकते हैं।

डी. बैंक किसी संयुक्त खाताधारकों के अनुरोध पर, परिस्थिति की मांग होने की स्थिति में संयुक्त खाताधारों के नाम/ नामों में गट-जोड़ कर सकते हैं या किसी वैयक्तिक जमाकर्ता को संयुक्त खाताधारक के रूप में किसी अन्य व्यक्ति का नाम जोड़ने के लिए अनुमति प्रदान कर सकता है।

15. अन्य व्यक्ति द्वारा खाते का परिचालन

बैंक जमाकर्ता/ कर्ताओं के अनुरोध पर उनके तरफ से किसी अन्य व्यक्ति को खाते का परिचालन करने के लिए प्राधिकृत करते हुए उनके द्वारा निष्पादित मुख्तारनामा को पंजीकृत कर सकता है और इस संबंध में खाते में एक अध्यादेश (मैनडेट) निर्धारित कर सकता है।

I. नामांकन

ए) वैयक्तिकों तथा एकल स्वामित्ववाले प्रतिष्ठानों द्वारा खोले गए सभी जमा खातों के लिए नामांकन सुविधा उपलब्ध है। नामांकन मात्र एक व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है।

बी) जमा अवधि के दौरान किसी भी समय नामांकन को खातेधारक थर्डपार्टी की साक्ष्य के साथ बदल सकता है/ रद्द कर सकता है। नामांकन को आशोधित करने के लिए सभी खाताधारकों की सहमति होना जरूरी है।

सी) नाबालिग के पक्ष में भी नामांकन किया जा सकता है ।

डी) बैंक सभी जमाकर्ताओं को नामांकन सुविधा का उपभोग करने की सलाह देती है। जमाकर्ता को जमा खाता खोलते समय नामांकन सुविधा से होने वाले लाभ के बारे में समझाया जाएगा।

ई) जमाकर्ता/ओं की मृत्यु होने पर, विधिक वारिसों के न्यासी के रूप में नामिती को खाते में मौजूद बकाया शेष प्राप्त होगा।

एफ) अगर कोई व्यक्ति किसी को भी नामित नहीं करना चाहता है,तो ऐसे मामले में जमाकर्ता से इस संबंध में एक विशिष्ट पत्र प्राप्त किया जाएगा। । अगर वह ऐसा एक पत्र देने से इनकार करता है तो, इस बात का उल्लेख खाता खोलने वाले फार्म में किया जाएगा।

जी) बैंक ग्राहक के अनुरोध पर, नामिती का नाम पासबुक /खाता विवरणी / एिडीआर में सुचित करेगा।

16. खाता विवरणी/ पासबुक

चालू खाताधारकों को खाता विवरणी आवधिक आधार पर खाता खोलने के नियम व शर्तों के अनुसार प्रदान करेगा। ग्राहकों की प्रति बैंक की संशोधित प्रतिबद्धता नीति (बीसीएसबीआई 2014) के खंड 8.1.3.3 के अनुसार मासिक आधार पर खाता विवरणी / ई-मेल विवरणी मात्र उन मामलों में प्रदान किया जाएगा जहाँ ग्राहक ने पासबुक के लिए विकल्प नहीं दिया है।

17. जमाखातों के अंतरण

बैंक जमाकर्ता के अनुरोध पर जमा खाते को एक शाखा से दूसरी शाखा को अंतरित कर सकता है।

18. भुगतान रोको सुविधा :

बैंक, जमाकर्ताओं द्वारा जारी चेकों के सबंध में भुगतान रोको आदेश, आदेश की प्राप्ति के वक्त अभुक्त स्थिति में मौजूद चेकों के मामलों में ही स्वीकार करेगा। भुगतान रोको आदेश में चेक के विवरण जैसे चेक संख्या, जारी तिथि, अदाता का नाम एवं राशि आदि शामिल हैं। भुगतान रोको आदेश को निष्पादित करने के लिए प्रभार, यथा निर्दिष्ट, वसूला जाएगा।

19. डॉर्मेंट/ निष्क्रिय खाते :

आरबीआई ने अपने परिपत्र सं. ऐआरबीआई/2013-14-614/डीबीओडी/एनओ/डीईएएफ/सीईएलएल/बीसी/114/30.01.002/ 2013-14, दिनांक 27.05.2014 के माध्यम से सभी सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों को सलाह दी है कि वे निष्क्रिय / डॉर्मेंट खाता श्रेणी में मौजूद निधि को आरबीआई को अंतरित करें।

सभी शाखाओं को हमने अपने परिपत्र सं. 32/2928/सीओ:पीएंडडी/डीईएएफ/एआरएस/14, दिनांक 25.06.20145 के माध्यम से निम्नानुसार अंतरित करने की सलाह दी थी।

ए. प्रधान कार्यालय: परिचालन विभाग को 10 साल अधिक अवधि से डॉर्मेंट खाता में मौजूद खातों को पहचानना होगा उसमें आरबीआई को विप्रेषित की जाने वाली ब्याज राशि का आकलन कर राशि को ब्याज सहित आरबीआई के डीईएएफ खाते में (161001006009) अंतरित करना होगा।

बी. सभी ब्याज युक्त खाते जैसे ड़ॉर्मेंट, परिपक्व जमा, दावा रहित जमा पर ब्याज की गणना, दि. 22.08.2011 से **02.05.2011** तक की अवधि के लिए बचत खाता दर 3.50% पर और दि. 03.05.2011 से अंतरण की तक की अवधि के लिए 4% की दर पर गणना करें और राशि का विप्रेषण आरबीआई के खाते में करें।

सी. ब्याज अर्जक निष्क्रिय बचत खातों में मौजूद शेष राशि को ब्याज सहित आरबीआई खाते में अंतरित करें।

डी. इसी प्रकार सभी गैर-ब्याज अर्जक खातों जैसे चालू खाता, ओडी खाता (निष्क्रिय खाता) में मौजूद जमा को ब्याज के बगैर आरबीआई के खाते में विप्रेषित किया जाए।

ई. गतावधि डीडी/पीओ आदि का आरबीआई खाते में अंतरण बिना ब्याज के किया जाए।

अगर बचत बैंक खाता तथा चालू खाता में पिछले 2 वर्षों से कोई परिचालन नहीं हुआ है तो उसे निष्क्रिय / डॉर्मेंट खाता माना जाएगा । जिन खाते में ग्राहक के निदेशानुसार मीयादी जमा राशि के ब्याज को बचत बैंक खाते में जमा किया जाता है, उन खातों
इसे ग्राहक द्वारा उत्प्रेरित परिचालन माना जाए। एवम् जिन खातों में मियादी जमा का ब्याज बचत खाते में जमा कर दिया जाता है वहाँ उन खातों को सक्रिय खाते माना जाए।
सभी शाखाओं / कार्यालयों को सलाह दी जाती है कि वे परिपत्र सं.य 261/2014/बीसी/पीएंडडी/79, दि. 25.08.2014 में कथित दिशानिर्देशों/ अनुदेशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। निष्क्रिय विदेशी मुद्रा खातों को निपाटान करने की तरीखा के बारे में उपरोक्त परिपत्र में समझाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र सं. आरबीआई/2014-15/200 डीबीओडी सं. एलईजी.बीसी.36/09.07.005/2014-15, दिनांक 01.09.2014 में कुछ स्पष्टीकरण दिया है जो निम्नानुसार है:-

यदि शेयरों पर प्राप्त होने वाले लाभांश ग्राहक के अनुदेशानुसार उसके बचत खाते में जमा कर दिया जाता है तो उस अंतरण को ग्राहक उत्प्रेरित अंतरण माना जाए और इस प्रकार के खातों को सक्रिय खाते माना जाए।

जमाकर्ता बैंक से इन खातों को परिचालित करने के लिए किसी भी समय खाते को सकिय करने के लिए अनुरोध कर सकता है ।

20. ब्याज की अदायगी

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशानुसार बचत बैंक खातों पर समय समय पर निर्धारित दर पर ब्याज प्रदान किया जाएगा । जमाराशियों के ब्याज दरों को, शाखा परिसर के प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

<u>दि: 01.04.2010 से बैंक द्वारा बचत बैंक खाता (देशी /एनआरई /एनआरओ) पर दिए जाने वाले ब्याज की गणना को दैनिक आधार पर किया जा रहा है।</u>

देशी बचत जमाओं पर प्रदेय ब्याज की आवधिकता

ए) बचत जमाओं को प्रदेय ब्याज त्रैमासिक आधार पर जमा कर दिया जाएगा।
बी) बचत बैंक खातों को प्रदेय ब्याज, प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा जब्त किए गए खाते सहित, निरंतर आदार पर खाते की परिचालन स्थिति से निरपेक्ष जमा किया जाएगा।

देशी चालू खाते को ब्याज की अदायगी: चालू खातों में धारित जमाओं के लिए ब्याज प्रदान नहीं किया जाएगा। जबकि मृत वैयक्तिक जमाकर्ता या एकल स्वामित्व संस्था के मृत स्वीमी के नाम पर मौजूद चालू खाते में जमा शेष पर ब्याज खाताधारक की मृत्यु तिथि से दावेदारों को खाते में मौजूद शेष राशि का भुगतान करने की तिथि तक की अवधि के लिए ब्याज, बचत जमाओं के लिए ब्याज दर पर, प्रदेय होगा।

21. नाबालिगों के खाते : नाबालिग के नाम पर बचत बैंक खाता उसके नैसर्गिक संरक्षक द्वारा खोला जा सकता है और नैसर्गकि संरक्षक खाते का परिचालन कर सकता है। इस प्रकार के खातों में किसी अन्य वयस्क को संयुक्त खाताधारक के रूप में जोड़ा जा सकता है।

नाबालिग भी अपने नाम पर स्वतंत्र रूप से खाता खोल सकता है यदि उस नाबालिग की आयु 10 वर्ष या उससे अधिक हो तो।
ऐसे खातों में खाताधारकों को चेकबुक जारी नहीं किया जाएगा और इन में किए जाने वाले परिचालन बैंक द्वारा समय-समय पर लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन होंगे।

नाबालिग अपने नैसर्गिक संरक्षक या अपनी माँ को संरक्षक रूप में रखकर बचत बैंक खाता खोला सकता है। (इसे नाबालिग खाता कहा जाता हैं)

नाबालिगों के नाम में खोले गए खातों के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा नहीं दी जाएगी।

नाबालिग वयस्क हो जाने पर उसे अपने खाते में रखी शेष राशि की पुष्टि करनी होगी और अगर खाता नैसर्गिक संरक्षक/संरक्षक द्वारा परिचालित किया जाता हो तो, बैंक को नैसर्गिक संरक्षक द्वारा विधिवत् सत्यापित नाबालिग का हस्ताक्षर परिचालन संबंधी आवश्यकताओं के लिए प्राप्त कर संरक्षित करना होगा।

22. अशिक्षित/ दृष्टि रहित व्यक्तियों के खाते

(ए) <u>अशिक्षित व्यक्ति</u>

बैंक अपने विवेकाधिकार के अनुसार अशिक्षित व्यक्ति के नाम पर चालू खाता के अलावा अन्य जमा खाता खोल सकता है । अशिक्षित व्यक्ति के नाम पर खाता खोला जा सकता है, बशर्ते कि वह खुद बैंक आएँ और ऐसे एक साक्ष्य के साथ आएँ जिन्हें जमाकर्ता एवं बैंक तोनों पहचानते हो। अशिक्षित वैयक्तिकों के नाम पर खाता खोलने व उनसे जमाराशि प्राप्त करने से पहले जमा संबंधी सभी नियम व शर्तें उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाए। पसाबुक/ खाता खोलने के फार्म पर खाताधारक की फोटो अवश्य होनी चाहिए।

अशिक्षित व्यक्तियों के नाम पर भी संयुक्त खाता खोला जा सकता है। अशिक्षित व्यक्तियों के नाम पर खोले जाने वाले खातों के लिए चेक बुक प्रदान नहीं किया जाएगा। खाते में आहरण/ जमा व ब्याज राशि का पुनर्भुगतान करते समय खाताधारक को उन प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अपने अंगूठे का निशान या चिह्न लगाना होगा, जो खाताधारक की पहचान को सत्यापित करेंगे।

(बी) <u>दृष्टि रहित व्यक्ति</u>

बैंकों द्वारा आम जनता को प्रदान की जाने वाली सभी बैंकिंग सुविधाएँ जैसे चेकबुक सुविधा, लॉकर सुविधा, खुदरा ऋण, क्रेडिट कार्ड आदि दृष्टि रहित व्यक्तियों को भी प्रदान किया जाएगा।

दृष्टिरहित व्यक्तियों के नाम पर खाते खोलते समय भी बैंकों को उसी प्रक्रिया का पालन करना होगा जिस प्रक्रिया का अनुसरण उन्होंने सामान्य व्यक्ति के नाम पर खाता खोलते समय किया है।

1. बैंकों को दृष्टिरहित व्यक्तियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना होगा जैसे वे अशिक्षित लोगों के साथ करते हैं।
2. शाखाओं से अपेक्षित है कि दृष्टिरहित ग्राहकों को भी (हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठे का निशान लगाने वाले सहित) सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाएँ देनी होगी।
3. शाखाओं को दृष्टि बाधित व्यक्तियों को अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ (जो दृष्टि बाधित है) संयुक्त रूप से खाता खोलने की अनुमति देनी होगी।
4. दृष्टिरहित ग्राहकों के साथ निष्पादित किए जाने वाले प्रलेखीकरण कार्य अन्य ग्राहकों की तरह हो।
5. बैंक, दृष्टिरहित खाताधारकों को भी चेकबुक की सुविधा दी जाए और चेक बुक के प्रयोग के संबंध में अनपालन की जाने वाली पद्धति अन्य ग्राहकों की भांति हो।

दृष्टिबाधित व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधाएँ

आरबीआई के परिपत्र सं. आरबीआई/2014-15/72, डीबीओडी सं. एलईजी बीसी 21/09.07.006/2014-15 दिनांक 01.07.2014 के अनुपालन में शाखाओं को सलाह दी जाती है कि अल्प दृष्टि युक्त ग्राहकों के प्रयोग हेतु हर शाखा में आवर्तक लेंस उपलब्ध होनी चाहिए ताकि दृष्टिबाधित व्यक्ति आसानी के साथ अपना लेनदेन कर सकें। शाखाओं को अपने परिसर में प्रमुख स्थान पर शाखा में आवर्तक लेंस एवं शारीरिक विकलांगों के लिए उपलब्ध अन्य सेवाओं के बारे में सूचना का प्रदर्शन करना होगा।

थर्ड जेंडर व्यक्ति

आरबीआई ने अपने परिपत्र सं. आरबाई/2014-15/72, डीबीओडी सं. एलईजी बीसी 21/09.07.005/2014-15, दिनांक 23.04.2015 के जरिए बैंकों को यह सलाह दी है कि वे अपने सभी आवेदनों में थर्ड जेंडर के लिए एक अलग कॉलम प्रदान करें। माननीय उच्चतम न्यायालय ने थर्ड जेंडर व्यक्ति को अपने लिंग का निर्धारण खुद करने के पूर्व प्रदत्त अधिकार को धारित करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकारों को उनके लिंग को पुरुष या स्त्री या थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता प्रदान करने का निदेश दिया है।

मियादी जमाराशियाँ

(ए) खाता खोलना

मियादी जमा खाते वैयक्तिकों/ सहभागी संस्थाओं/ निजी एवं सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों/ अविभक्त हिन्दू परिवार/ विनिर्दिष्ट संस्थाओं/ संघों / ट्रस्टों/ सरकारी विभाग व प्राधिकरण (केंद्र या राज्य) सीमित देयता सहभागी संस्था आदि द्वरा खोला जा सकता है।

(बी) ब्याज का भुगतान/अदायगी

मियादी जमाओं में ब्याज भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी सामान्य दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर प्रदेय होगा। मियादी जमाराशियों पर त्रैमासिक अंतराल पर ब्याज का परिकलन किया जाएगा तथा मासिक जमा योजना के संबंध में ब्याज का भुगतान बट्टाकृत मूल्य के हिसाब से मासिक आधार पर किया जाएगा। भारतीय बैंक संघ के सूत्र एवं करारमूलक प्रणाली पर मियादी जमाराशियों के ब्याज का परिकलन किया जाता है।

मियादी जमाराशियों पर प्रदेय ब्याज दर और इस संबंध में देय अन्य प्रभार, यदि कोई हो, की जानकारी शाखा परिसर में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी।

बैंक द्वारा अवरोधित खातों पर ब्याज की अदायगी : बैंक शाखा/ कार्यालय में पदस्थ अधिकारी/ स्टाफ प्रवर्तन प्राधिकारियों के आदेशों पर अवरोधित मियादी जमा खातों पर प्रदेय ब्याज की अदायगी प्रक्रिया से संबधित ग्राहक को अवगत कराएँगे।

(सी) परिपक्वता राशि का निपटान: मियादी या मियादी जमा खाताधारक मियादी/ मियादी जमा खाता खोलते समय ही परिपक्व राशि का निपाटन करने के बारे में अपना अधिदेश – जमा खाता की बंदी करना या उसे आगे बढ़ाना आदि- निर्धारित कर सकते हैं। उक्त अधिदेश के अभाव में जमा की परिपक्वता तिथि से 15 दिन पहले जमाकर्ता से जमा के निपटान के बारे में अधिदेश का आग्रह बैंक द्वारा किया जाएगा। परिपक्व जमा, अदावी जमा/ निष्क्रिय जमा के संदर्भ में दि: 22.02.2008 से अतिदेय मियादी जमा खातों पर ब्याज ग्राहकों के आग्रह पर, बचत खाते के लिए लागू दर पर, प्रदेय होगा ।

प्रवर्तन प्राधिकारियों के आदेशों के चलते बैंक द्वारा अवरुद्ध खातों के संबंध में जमाकर्ता को इस बात का उल्लेख करना होगा कि वह अपनी जमाराशि का नवीकरण कितनों दिनों के लिए करना चाहते हैं। यदि जमाकर्ता ने इस विकल्प का प्रयोग नहीं किया हो तो बैंक उस जमा को उस अवधि के लिए नवीकृत कर देगा जितनी अवधि के लिए वह जमा मूल रूप से खोली गई थी।

(डी) संयुक्त खातों के संबंध में अधिदेश:- संयुक्त मियादी जमा खातों के संबंध में संयुक्त खाताधारकों द्वारा प्रस्तुत अधिदेश – संयुक्त रूप से या तोनों में से एक या उत्तरजीवी आदि – मियादी जमाओं की परिपक्वता तिथि से ही लागू होगा। हालांकि इस अधिदेश को संयुक्त खाताधारक अन्य खातों की भांति कभी भी बदल सकता है, बशर्ते कि यह परिवर्तन यह सुनिश्चित करने के बाद लागू किया जाएगा कि दिवंगत ग्राहक के खाते से भुगतान करने से बैंक पर किसी सक्षम न्यायालय ने रोक नहीं लगाई हो।

(ई) ब्याज के भुगतान पर टीडीएस (स्रोत पर कर की कटौती): किसी व्यक्ति के समग्र मियादी जमाओं पर प्रदेय कुल ब्याज आय कर अधिनियम में कथित सीमा से अधिक होने पर कुल प्रदेय ब्याज की राशि पर स्रोत पर कर की कटौती करना बैंक की सांविधिक दायित्व है। बैंक उस राशि के लिए टीडीएस कटौती प्रमाणपत्र जारी करेगा जिस राशि का आहरण उसके खाते से कर के भुगतान हेतु किया गया है। टीडीएस के अंतर्गत भुगतान से छूट प्राप्त ग्राहकों को इस संबंध में एक घोषणा निर्दिष्ट प्रारूप में, हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में प्रस्तुत करना होगा और बैंक से यह अनुरोध करना होगा कि वे टीडीएस की कटौती न करें।

(एफ) मियादी जमाराशि की समय पूर्व निकासी: समय-पूर्व निकासी (मियादी जमाओं की) के संदर्भ में खाताधारकों को प्रदेय ब्याज [बैंक में जमा की उपस्थिति अवधि के दौरान उसे प्रदेय ब्याज – प्रस्तावित पेनैल्टी (रु. 5 करोड़ तक 2% एवं 5 करोड़ से अधिक राशि के लिए 1%)] प्रदेय होगा।

(जी) मियादी जमाओं का समय-पूर्व नवीकरण: यदि जमाकर्ता अपनी जमाओं को समय-पूर्व नवीकृत करने और एतदर्थ अपनी मौजूदा जमाओं को समय-पूर्व समाप्त करने हेतु अनुरोध प्रस्तुत करता है तो बैंक उसे नवीकरण तिथि को लागू दर पर, उसकी अवधि से निरपेक्ष, जमा को नवीकृत करने हेतु अनुमति प्रदान कर सकता है। समय-पूर्व नवीकरण हेतु की जाने वाली समय-पूर्व बंदी संबंधी मामलों में ब्याज बैंक में जमा की उपस्थिति अवधि के लिए लागू दर या संविदागत दर से, जो भी कम हो, समय-समय पर संशोधित दांडित ब्याज को घटाने के बाद प्रदान किया जाएगा।
बैंक की वर्तमान दांडिक ब्याज 0.50% है और बैंक में जमा की उपस्थिति अवधि के लिए लागू ब्याज –जमा की मूल तिथि को लागू ब्याज समान होगी।

(एच) जमाओं का परिपक्वता पूर्व परिवर्तन: जहाँ एक मियादी योजना के तहत खोले गए जमा खातों को, जैसे एफडी, एसएसडी, वीसीसी, पिग्मी 1928 योजना को उसकी परिपक्वता से पूर्व दूसरी योजना में किए जाने वाले परिवर्तन को परिपक्वता पूर्व बंदी माना जाएगा और उन जमाओं पर उपचित ब्याज पर संबंधित योजनाओं के लिए लागू पेनल्टी प्रभारित किया जाएगा।।

(आई) अतिदेय मियादी जमाओं का नवीकरण (393/2015):

ए) अतिदेय मीयादी जमाओं का न्यूनतम नवीकरण अवधि अतिदेय अवधि+ 7 दिन होगी।

बी) नवीकृत जमा की परिपक्वता पूर्व चुकौती संबंधी मामलों में जहाँ वास्तिव नवीकरण किए 7 दिन नहीं हुआ हो, वहाँ उस जमा पर अतिदेय अवधि के लिए कोई भुगतान देय नहीं होगा, बैंक में जमा की उपस्थिति 7 दिन से अधिक होने पर भी।

सी) जमा को उसकी परिपक्वता तिथि से 7 दिनों के भीतर नवीकृत किए जाने पर उसे ब्याज परिपक्वता तिथि को लागू दर पर प्रदेय होगा।

डी) जहाँ अतिदेय अवधि 7 दिन से अधिक हो (परिपक्वता तिथि से) वहाँ उस अतिदेय मीयादी जमा के लिए ब्याज (नवीकरण अवधि के लिए) परिपक्वता/ नवीकरण तिथि को लागू दर पर प्रदेय होगा।

ई) यदि 7 वां दिन रविवार/ विराम दिवस होने पर जमा का नवीकरण पिछले कार्यदिवस के दौरान ही किया जाए।

अतिदेय घरेलू जमाओं पर ब्याज: यदि कोई मीयादी जमा परिपक्व हो जाए और उसके प्राप्य अभुक्त रह जाए तो बैंक के पास मौजूद उस अदावाकृत राशि के लिए ब्याज, बचत खाते के लिए लागू दर पर प्रदेय होगा।

(जे) मियादी जमाराशियों के स्वतः नवीकरण: जमाकर्ता मियादी जमाओं के नवीकरण के संबंध में निम्नांकित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन, खाता खोलते समय या जमा की पिरिपक्वता तिथि से पहले किसी भी समय कर सकते हैं।

1. परिपक्वता पर जमा का स्वतः नवीकरण, परिपक्वता तिथि को लागू दर पर, ब्याज सहित या ब्याज रहित उसी अवधि के लिए जिस अवधि के लिए वह जमा खाता खोला गया था ।
2. परिपक्वता पर जमा का नवीकरण, परिपक्वता तिथि को लागू दर पर, ब्याज सहित या ब्याज रहित उसी अवधि के लिए जिस अवधि के लिए वह जमा खाता खोला गया था ।
3. जमा का नवीकरण परिपक्वता अवधि की समाप्ति पर, विशिष्ट अनुदेश प्राप्त करने के बाद। यदि कोई जमाकर्ता अपनी स्वतः नवीकृत जमा को अवधि की समाप्ति से पहले बंद करने या उसकी परिपक्वता अवधि में परिवर्तन हेतु अनुरोध प्रस्तुत करता है तो बैंक उस जमा खाते को बंद करेगा और ग्राहक को उस दिन तक का ब्याज परिपक्वता पूर्व निकासी के लिए बैंक नीति के अनुसार लागू दंड राशि को घटाने के बाद प्रदान किया जाएगा।

   नवीकृत मियादी जमाओं के लिए लागू ब्याज दर, नीति के मद सं. (I) में यथा प्रस्तवित होगी। जहाँ परिपक्वता पर या परिपक्वता के बाद मियादी जमाओं का नवीकरण नहीं किया जाता है वहाँ उन जमाओं के लिए परिपक्वता तिथि से निकासी तिथि तक की अवधि के लिए बचत बैंक खाते के लिए लागू दर पर (परिपक्वता तिथि की) ब्याज प्रदेय होगा।

(के) जमाओं के सापेक्ष अग्रिम: जमाकर्ताओं को निर्धारित प्रतिभूति दस्तावेज़ों के निष्पादन के आधार पर उनकी मियादी जमाओं के सापेक्ष उन्हें ऋण/ ओडी सुविधा प्रदान किया जाएगा। नाबालिगों के नाम पर मौजूद मियादी जमाओं के सापेक्ष जारी किए जाने वाले ऋण इस संबंध में जमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र, कि इस ऋण राशि का उपयोग नाबालिग जमाकर्ता के हितार्थ किया जाएगा, के अधीन होंगे।

उच्च मूल्य के जमा: ग्राहक स्वीकार्यता एवं ग्राहक पहचान में समुचित सावधानी का पालन न किए जाने के कारण और जहाँ बिचौलियों के माध्यम से प्राप्त उच्च मूल्य के जमाओं को स्वीकारा जाता है वहाँ यह देखा गया है कि वहाँ समुचित सावधानी का पालन नहीं किया जा रहा है। यह पुनः दोहराया जाता है कि ऐसे मामलों में समुचित सावधानी का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। हमने इस संबंध में परिपत्र सं. 216/2014/BC/P&D/57 दिनांक 14.07.2014, परिपत्र सं. 307/2014/BC/P&D/95, दिनांक 26.09.2014 तथा परिपत्र सं. 44/2015/BC/P&D/020 दिनांक 02.02.2015 भी जारी किया है।

आरबीआई ने यह पुनः दोहराया है कि सुमुचित सावधानी संबंधी प्रक्रियाओं का योग्य अनुपालन अवश्य किया जाना है और बिचौलियों के माध्यम से कारोबार हासिल करने की प्रथा का अनुपालन यथासंभव न करें। शाखाओं/

कार्यालयों को उच्च मूल्य के ऋण जारी करते समय तथा उच्च मूल्य के जमा हासिल करते समय अत्यंत सावधान रहें और निधियों के विपथन व दुर्विनियोजन को रोकने के लिए उच्च मूल्य के जमाकर्ताओं/ संस्थ से वैयक्तिक संपर्क व उनकी प्रति जांच करना अनिवार्य है।

घरेलू जमा संबंधी सामान्य अवधारणाएँ

गैर-कारोबारी कार्य दिवस को परिपक्व होने वाले जमाओं के संबंध में

(i) यदि कोई मियादी जमा गैर-कारोबारी कार्य दिवस को परिपक्व हो जाता है तो बैंक उस गैर-कारोबारी कार्य दिवस के लिए, मियादी जमा पर प्रस्तावित परिपक्वता तिथि एवं परिपक्व राशि की भुगतान तिथि (अर्थात् अगले कार्य दिवस) के बीच की अवधि के लिए ग्राहक को मूल जमा पर ब्याज, मूल संविदागत दर पर प्रदान करेगा।

(ii) पुनर्निवेश जमा एवं आवर्ती जमाओं के मामले में बैंक बीच की अवधि के लिए (जमा की वास्तविक तिथि एवं वास्तिवक भुगतान तिथि) परिपक्व राशि पर ब्याज पर ब्याज का भुगतान करेगा।

(iii) घरेलू मियादी जमाओं पर ब्याज :

बैंक जमा की परिपक्वता अवधि का निर्धारण कर सकता है, बशर्ते कि उनके द्वारा निर्धारित की जाने वाली न्यूनतम अवधि सात दिनों से कम न हो।

(ए) सभी शाखाओं में जमाओं पर प्रदेय ब्याज सभी ग्राहकों के लिए एक समान हो और किसी समान अवधि के लिए स्वीकार्य एक-समान राशियों के लिए बैंक शाखाओं द्वारा प्रदेय ब्याज दर में किसी प्रकार की भिन्नता/ विवक्षता न हो।

(बी) जमाओं पर प्रदेय ब्याज दर पूर्वनिर्धारित ब्याज दर सूची के अनुरूप हो।

(सी) प्रदेय ब्याज दर किसी प्रकार के समझौते (बैंक एवं ग्राहकों के बीच) के अधीन न हो।

(डी) प्रस्तावित ब्याज दर वास्तविक, सतत, पारदर्शी हो और यह आवश्यकता के आधार पर पर्यवेक्षी समीक्षा/ जांच के अधीन हो।

(ई) विभेदक ब्याज दर मात्र थोक जमाओं पर प्रदेय होगा (परि. सं. 285/2015)। हालांकि विभेदक ब्याज दर बैंक की मीयादी जमा योजना, 2006 के अंतर्गत खोले गए जमा खातों या पूँजी लाभ लेखा योजना, 1988 के अंतर्गत प्राप्त जमाओं पर लागू नहीं होगा।

घरेलू जमाओं पर अतिरिक्त ब्याज का भुगतान:

बैंक अपने स्टाफ सदस्यों एवं उनके अनन्य संघों तथा उसके अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यपालक निदेश या स्थाई अवधि के लिए नियुक्त किए जाने वाले अन्य कार्यपालकों के बचतों या सावधि जमाओं पर अपनी सूची में कथित ब्याज दर से एक प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज (प्रति वर्ष) का भुगतान प्रदान कर हेतु अनुमति प्रदान कर सकता है, बशर्ते कि यह मंजूरी निम्नांकित शर्तों के अधीन होंगी:-

(i) अतिरिक्त ब्याज का भुगतान जब तक बचत के स्वामी उसके लिए पात्र हो तब तक या उस मियादी जमा खाते की परिपक्वता अवधि तक, यदि पूर्व उस व्यक्ति को उस जमा की परिपक्वता तक इसके लिए योग्य किया गया हो तो, प्रदान किया जाए।

(ii) निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिनियुक्त या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के मामले में यह सुविधा उन्हें उसकी प्रतिनियुक्ति व संविदा अवधि, जो भी लागू हो, की समाप्ति तक दी जाएगी।

(एल) मृत जमाकर्ताओं के खातों में मौजूद शेष राशि का निपाटन:

i) यदि एकल खाते के एकल जमाकर्ता या संयुक्त खाते के संयुक्त जमाकर्ता ने किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को अपने खाते की नामिती के रूप में नियुक्त किया हो तो, बैंक उस जमाकर्ता/ संयुक्त जमाकर्ताओं की मृत्यु के बाद उनके जमा खाते में मौजूद शेष राशि का अंतरण उसके/ उनके नामिती के खाते में, उसकी/ उनकी पहचान आदि की तुष्टि के बाद, अंतरित करेगा।

ii) संयुक्त जमा खाते में, जब संयुक्त खाताधारकों में से एक की मौत हो जाती है तो बैंक से अपेक्षित है कि वह मृत जमाकर्ता की खाते में मौजूद शेष राशि को उसके विधिक वारिसों और सह-जमाकर्ता/ओं के बीच समान रूप से

संवितरित करें। हालाँकि, यदि किसी संयुक्त खाताधारक ने अपनी मृत्यु के बाद अपने खाते में मौजूद शेष का निपटान 'संयुक्तः' या 'दोनों में से एक या उत्तरजीवी' या 'पूर्ववर्ती/परवर्ती या उत्तरजीवी' 'उत्तरजीवियों में से एक या उत्तरजीवी' आदि के आधार पर करने हेतु अधिदेश प्रस्तुत की हो तो बैंक उस खाते में मौजूद शेष राशि का निपटान उसके अधिशानुसार, यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि सक्षम न्यायालय ने मृत व्यक्ति के खाते से किसी प्रकार का भुगतान करने से बैंक को रोकते हुए किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया है।

iii) उपरोक्त नामांकन या अधिदेश के अभाव में और जहाँ खाते में मौजूद शेष राशि के निपटान के संबंध में दावेदारों के बीच किसी प्रकार का विवाद न होने की स्थिति में बैंक मृत व्यक्ति के खाते में मौजूद शेष राशि का निपाटन खाताधारक के विधिक वारिसों या उनके द्वारा उनके स्थान पर भुगतान प्राप्त करने के लिए नामित व्यक्ति/यों के संयुक्त आवेदन के सापेक्ष, एक हद से ज्यादा विधिक दस्तावेज़ों की मांग न करते हुए, किया जाएगा। यह आचरण विधिक वारिसों को कानूनी प्रक्रियाओं के नाम पर अनावश्यक परेशानी न देने के उद्देश्य से किया जाता है।

(एम) मृत जमाकर्ताओं के नाम पर मौजूद मियादी जमाओं पर ब्याज का भुगतान:

i) जमा परिपक्व होने से पहले जमाकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति में, जमा की परिपक्वता के बाद दावा की जाने वाली प्रदेय राशि पर ब्याज का भुगतान जमा की परिपक्वता तक संविदागत दर पर किया जाएगा। जमा की परिपक्वता तिथि से उसकी भुगतान तिथि तक की अवधि के लिए सामान्य ब्याज का भुगतान, परिपक्वता तिथि को लागू परिचालनात्मक दर पर, परिपक्वता तिथि के बाद बैंक में जमा की उपस्थिति अवधि के लिए, इस संबंध में बैंक में लागू वर्तमान नीति का अनुपालन करते हुए, प्रदान किया जाएगा।

ii) जबकि, परिपक्वता की समाप्ति के बाद जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, जमा की परिपक्वता तिथि से उसकी भुगतान तिथि तक की अवधि के लिए परिपक्वता तिथि को बचत जमाओं के लिए लागू दर पर, ब्याज प्रदेय होगा।

(एन) जमाओं के लिए बीमा रक्षा:

बैंक के सभी जमा खाते 'भारतीय जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)' की बीमा योजना के तहत संरक्षित हैं, जो निर्दिष्ट सीमा एवं शर्तों के अधीन हैं। उपलब्ध बीमा रक्षा संबंधी जानकारी जमाकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा।

(ओ) जमा में परिवर्तन संबंधी संसूचना:

जमा योजना एवं अन्य सहबद्ध सेवाओं में होने वाले परिवर्तन संबंधी सूचना, यदि परिवर्तन हुआ है तो, सबसे पहले जमाकर्ताओं को दी जाएगी और इसे शाखा में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(पी) शिकायतों का निवारण :

बैंक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से अगर जमाकर्ताओं को कोई शिकायत है तो,उन्हें इस संबंध में बैंक द्वारा ग्राहक शिकायत निवारण हेतु प्राधिकृत अधिकारी से बात करने का पूरा अधिकार है । शिकायत निवारण हेतु बैंक में मौजूद आंतरिक तंत्र संबंधी ब्यौरें शाखा परिसर में प्रदर्शित किए जाएँगे। । शिकायत दर्ज करने की प्रकिया संबंधी विस्तृत जानकारी जमाकर्ता/ओं को दी जाएगी।। यदि जमाकर्ता को शिकायत की तारीख से 60 दिनों के भीतर बैंक से शिकायत के संबंध में कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हो या वह बैंक के प्रत्युत्तर से संतुष्ट नहीं है तो उसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करने का पूरा अधिकार है।

***